न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 99 / 2019

उनवान

1. श्रीमती बृजकंवर पत्नी स्व0 बहादूर सिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. गोपाल पिता भॅवर लाल नाई निवासी सुरास तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा
2. श्रीमती जसोदा पत्नी स्व0 भॅवर लाल नाई निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. डालू पिता देवा गाडरी निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 93 / 2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2017

——

अधिवक्तागण :–

1. श्री एस एल वैद, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री एम एल सेन ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री आर एल जाट अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 3
4. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26.8.2019

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2204/1997 रकबा 1 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है। जो वादीगण के खातेदारी हक की होकर स्वामित्व की है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण की आराजी पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को मना किया, जिस पर वादी संख्या 1 ने पत्थरगढी किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के यहॉ प्रस्तुत किया , जिसका निर्णय दिनांक 19.11.2013 को होने पर दिनांक 7.6.2017 को पत्थरगढी कराई गई । पत्थरगढी के दौरान जानकारी हुई कि आराजी नम्बर 2204/1997 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 ने 1 बिस्वा पर अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा कर रखा है। जिस पर वादीगण को हिदायत दी गई कि वह नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर कब्जा प्राप्त करें। जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को सहमति से प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इंकार कर दिया । जिससे वादीगण को यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पडा । बिनाय वाद दिनांक 19.11.2013 एवं 7.6.2017 से उत्पन्न होकर जारी है । अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई ।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया/प्रतिवादी को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं कराई गई। क्योंकि अपीलार्थीया पर्दानशीन, अनपढ, विधवा एवं 90 वर्ष की महिला है। उसके कोई नर संतान नहीं है इसलिए अपनी सेवा सुश्रुषा व तिमारदारी के लिए बुढापे की अवस्था के कारण वह अपनी सबसे छोटी पुत्री लक्ष्मण कंवर के पास अहमदाबाद(गुजरात) में ए–19 कर्मचारी नगर, पार्ट 1 घाट लोडिया, अहमदाबाद 61 गुजरात पिन कोड 380061 में पिछले 5 वर्ष से निवास कर रही है। इसलिए उसकी सम्यक तामील नहीं हुई है। दिनांक 12.9.2017 को उपस्थित रहने बाबत भी कोई सूचना नहीं थी। इस मामले बाबत अपीलार्थीया के नातेदारों रिश्तेदारों द्वारा फोन से सूचना दी कि विवादित मामले के बाबत मौके पर राजस्व एजेन्सी द्वारा नाप चौप करवाया जा रहा है । यह सूचना भी अपीलार्थीया को दिनांक 18.5.2019 को सद्भाविक रूप से हुई थी। अतः दिनांक 12.9.2017 एवं 31.10.2017 से अब तक की अवधि को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया को इस मामले में सम्यकरूप से तामील नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

होने के बावजूद भी अपीलार्थीया की दिनांक 12.9.2017 को अनुपस्थित मानकर एकपक्षीय आदेश पारित किया, जो सर्वथा विधि के प्रतिकूल होने से एकपक्षीय सुनवाई किया जाना गैर कानूनी होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जेयाबी के अनुतोष पर प्रत्यर्थीगण/वादीगण संख्या 1 व 2 के वाद पत्र में वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थीया द्वारा कब अनाधिकृत कब्जा किया और कब से अनाधिकृत अतिचार करके कब्जा बनाये हुए हैं। इस संबंध में वाद पत्र में प्लीडिंग्स का अभाव होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया का वादग्रस्त आराजी नम्बर 2204/1997 पर पुरातनकाल से उसके पति के जीवनकाल से निरन्तर कब्जाकाश्त चला आ रहा है । इस कारण प्रत्यर्थीगण का वाद बेरूनमियाद होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात की पूर्वी सीमा एवं उत्तरी सीमा पर कांटेदार तारों से फेसिंग मौके पर की हुई है तथा पश्चिमी सीमा पर पत्थरों का कोट है। इस भौतिक स्थिति से अपीलार्थीया का भौतिक कब्जा काफी पुराना करीब 12 वर्षो से अधिक समय से होने के कारण प्रत्यर्थीगण/वादीगण का वाद पत्र सर्वथा मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी कभी भी रिक्त नहीं रही है। वादग्रस्त आराजी में खरीफ की फसल अपीलार्थीया के द्वारा सिजारी के मार्फत बुवाई की जाती रही है। प्रत्यर्थीगण/वादी संख्या

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1 व 2 द्वारा अपने वाद पत्र मेंदिनांक 7.6.2017 से पूर्व उनके द्वारा खरीफ की कौन–कौन सी फसल की बुवाई की गई और कौन सिजारी था। इसका उल्लेख भी वाद पत्र में नहीं करके वास्तविकता को छिपाया गया है। जबकि अपीलार्थीया का अपने पति के जीवनकाल से ही वादग्रस्त आराजियात पर अनवरत कब्जा होने से वह ही काश्त करती हुई चली आ रही है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 185 में वर्णित प्रक्रियात्मक व्यवस्था के अनुसार स्थावर सम्पति के परिदान के लिए डिक्री का निष्पादन नहीं किया गया है। अपीलार्थीया 90 वर्ष की उम्रदराज महिला है। जो अपनी सेवा सुश्रुषा के लिए पुत्री के पास रह रही है। अपीलार्थीया को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हुई है। अपीलार्थीया को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई करने का युक्तियुक्त एवं न्यायोचित अवसर नहीं दिया गया है और प्रत्यर्थीगण/वादीगण संख्या 1 व 2 ने जानबूझकर अपीलार्थीया जो ग्राम सुरास में न रहकर पुत्री के पास रहना जानते हुए ग्राम सुरास में रहना मानते हुए सम्मन भिजवाये गये जो अनुचित व दोषपूर्ण है। अतः' अपील अपीलार्थीया स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर प्रकरण मे अपीलार्थीया को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जाये। अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपने तर्को की पुष्टि में 2018 (3) डी एन जे (राजस्थान) 1045 , 2019 (1) सी जे (सिविल) (राजस्थान) पेज 607 की ओर ध्यान आकर्षित कर अपील अपीलार्थीया स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपीलार्थीया के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । अपीलार्थीया ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीया ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं सतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीया को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हुई थी। जिससे अपीलार्थीया को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिल पाया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सम्मन/नोटिस का अवलोकन किया गया । अपीलार्थीया/प्रतिवादिया बृजकंवर को सम्मन दिनांक 11.7.2017 को जारी किया गया । जिसकी पुश्त पर तामील कुनिन्दा द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई है '' ग्राम सुरास मे गया प्रार्थीया के बारे में पूंछने पर कहा कि वह बाहर गया हुआ है। अतः तामील की एक प्रति व नकल उनके खुले मकान पर चस्पा की मौजूदा मौतबिरान रघुनाथ एवं बालू सिंह के हस्ताक्षर लिये।

13. अपीलार्थीया के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थीया पर्दानशीन, अनपढ, विधवा एवं 90 वर्ष की महिला है। उसके कोई नर संतान नहीं है इसलिए अपनी सेवा सुश्रुषा व तिमारदारी के लिए बुढापे की अवस्था के कारण वह अपनी सबसे छोटी पुत्री लक्ष्मण कंवर के पास अहमदाबाद(गुजरात) में ए–19 कर्मचारी नगर, पार्ट 1 घाट लोडिया, अहमदाबाद 61 गुजरात पिन कोड 380061 में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पिछले 5 वर्ष से निवास कर रही है। इसलिए उसकी सम्यक तामील नहीं हुई है। दिनांक 12.9.2017 को उपस्थित रहने बाबत भी कोई सूचना नहीं थी। अपीलार्थीया का उक्त कथन मिथ्या है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न अधिवक्ता श्री शोभाग सिंह राठोड, ए–19 कर्मचारी नगर, पार्ट –1 घाटलोडिया, अहमदाबाद द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को भेजा गया सूचना पत्र जो कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 1.8.2017 को प्राप्त होने के उपरान्त पीठासीन अधिकारी द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जाकर शामिल पत्रावली किया गया । उस सूचना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रति जिसे अपीलार्थीया के मकान पर चस्पा किया गया है। जिसमें न्यायालय द्वारा नियत तारीख पेशी दिनांक 28.7.2017 अंकित है। उसके साथ ही वाद पत्र की फोटो प्रति संलग्न है। ''जिसमें अधिवक्ता ने अंकित किया है कि डिमार्केशन किये जाने से आदेश से एक माह पूर्व सूचित किया जावे जिससे अहमदाबाद से सुविधा अनुसार पहूँचा जा सके। '' अपीलार्थीया द्वारा अधिवक्ता श्री शोभाग सिंह राठोड को अधिकार पत्र दिया गया है। जिस पर अधिवक्ता द्वारा सूचना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अपीलार्थीया का मकान गांव में होना प्रकट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रति अपीलार्थीया के मकान पर चस्पा की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया का यह कथन कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की उस पर प्रोपर तामील नहीं हो पाई थी एवं उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिल पाया उचित नहीं माना जा सकता है।

14. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सूचना पत्र जो कि भू अभिलेख निरीक्षक, मेजा द्वारा दिनांक 2.6.2017

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को पत्थरगढी दिनांक 7.6.2017 को किये जाते समय उपस्थित रहने बाबत था। उक्त नोटिस को स्वयं अपीलार्थीया ने लेने से मना किया था। उक्त तथ्य का अंकन उक्त सूचना पत्र पर किया गया है जिसमें गवाह रतन लाल एवं नंद लाल ने हस्ताक्षर किये गये है। अपीलार्थीया को पत्थरगढी होने की जानकारी थी। परन्तु जानबूझकर अपीलार्थीया ने नोटिस लेने से मना किया । उसके उपरान्त अपनी पुत्री के पास अहमदाबाद गई थी। पत्थरगढी रिपोर्ट दिनांक 7.6.2017 के अनुसार '' वादी गोपाल पिता भॅवर लाल नाई निवासी सुरास को पटवारी हल्का सुरास के साथ मश्तकिल निशान आराजी नम्बर 1685 से जरीब चलाकर पत्थरगढी कराई गई। आराजी नम्बर 2204/1997 रकबा 1.00 बीघा मे से 15 बिस्वा भूमि पर श्रीमति बृजकंवर पत्नि बहादुर सिंह का एवं 1 बिस्वा रकबा पर डालू पिता देवा गाडरी का कब्जा होना पाया गया था।'' इसके उपरान्त प्रत्यर्थी/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया । दिनांक 12.9.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कितनी ही मर्तबा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को आवाजें लगवाई गई। उसके उपरान्त भी उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। उसके उपरान्त बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश की पालना भी हो चुकी है।

15. पत्थरगढी किये जाने की जानकारी एवं अधिनस्थ न्यायालय में चल रहे वाद पत्र की जानकारी अपीलार्थीया को होने के उपरान्त भी अपीलार्थीया/प्रतिवादी अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं रहीं। नोटिस अपीलान्ट के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मकान पर चस्पा होने की जानकारी होने के उपरान्त अधिवक्ता शोभाग सिंह राठौड़ द्वारा रजिस्टर्ड पत्र से अधिनस्थ न्यायालय को लिखे जाने से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को वाद की जानकारी थी। न्याय की मंशा भी यही है कि न्यायालय को किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए। अपीलान्ट/वादीया को जारी सम्मन दिनांक 11.07.2017 के क्रम में नोटिस अभिभाषक दिनांक 29.07.2017 को रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा कर अधिनस्थ न्यायालय को दिनांक 01.08.2017 को प्राप्त होना रिकॉर्ड से प्रकट है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2017 को सम्मन तामीली मान कर अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये हैं। अपीलान्ट ने बाद सूचना भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः इस आधार पर अपीलन्ट कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। न्यायालय हाजा के समक्ष भी अपीलान्ट द्वारा अपने कब्जे की वैधानिकता व अपीलाधीन आदेश की विधिसम्मतता बाबत कोई ठोस साक्ष्य , सबू प्रस्तुत नहीं दिये हैं।अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। 2018(3)DNJ(Raj.) 1057 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट 2011 की धारा 15(4) के तहत पारित आदेश में यह प्रतिपादित किया है कि कोर्ट की गलती के लिए व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जा सकता। जोइण्डर पेश करने के लिए तारीख नियत करते सुय याची ने आपत्ति नहीं उठाई। यह न्यायिक उद्धरण वर्तमान प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होता है। 2018(3)DNJ(Raj.) पृष्ठ 1045 परं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच ने सीपीसी 1908 के आदेश 9 नियम 7, 3 में सब्सीट्यूट सर्विस बाबत निर्णय दिया है तथा 2019(1)CJ(civ)(Raj.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

607 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सीपीसी 1908 के आदेश 5 नियम 20 के तहत सब्सीट्यूट सर्विस ऑफ सम्मन पर विस्तृत निर्णय दिया है। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों के ससम्मान अवलोकन उपरान्त मेरा विनम्र अभिमत है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी सं0 1 को नोटिस जारी होने व वाद संस्थानित होने की पूर्ण जानकारी प्राप्त थी तथा इस बाबत विस्तृत विवेचन निर्णय के बिन्दु सं0 15 में किया गया। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण अपीलाधीन प्रकरण पर हूबहू चस्पा नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

16. अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2017 को यथावत रखा जाता हैं। डिक्री पर्चा मूर्तिब किया जावे।

17. निर्णय आज दिनांक 26.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

26/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए / 99 / 2019

उनवान

1. श्रीमती बृजकंवर पत्नी स्व0 बहादूर सिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

2. गोपाल पिता भॅवर लाल नाई निवासी सुरास तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा
3. श्रीमती जसोदा पत्नी स्व0 भॅवर लाल नाई निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. डालू पिता देवा गाडरी निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 93 / 2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2017

——

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 99 / 2019** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 26.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एस एल वैद वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एम एल सेन एवं श्री आर एल जाट उपस्थिति मे दिनांक 26.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

: अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2017 को यथावत रखा जाता हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 26.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्की जारी की जाती है।

26/8/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस